न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 150/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

देवनन्दन प्रसाद मंडल ---------------------- प्रथम पक्ष

बनाम्

बैजनाथ सिंह वगैरह ----------------------- द्वितीय पक्ष

आदेश

19-11-24

प्रथम पक्ष देवनन्दन प्रसाद मंडल के आवेदन तथा थाना प्रभारी, ओ0पी0 भरकट्टा के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले विवादग्रस्त भूमि पर दिनांक 21.09.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया।

मौजा- चिताखारो, थाना- ओ0पी0भरकट्टा, जिला- गिरिडीह
खाता नं0- 16, प्लॉट नं0- 609, रकबा- 50.66 डी0
चौहद्दी : उ0- सड़क, द0- निज लेख्यकारी, पू0- रूपलाल मंडल, प0- सुकर मंडल

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा। प्रथम पक्ष का कहना है कि वादग्रस्त भूमि उन्हें निबंधित केवाला द्वारा प्राप्त है जिस पर उनका दखल कब्जा है। द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त भूमि पर जबरन बाउण्ड्रीवाल बनाए जाने के प्रयास के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक निबंधित केवाला की छायाप्रति, एक नजरी नक्शा की छायाप्रति, एक online नक्शा की छायाप्रति दाखिल करते हैं।

वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि जमीन खतियान से तथा खरीदगी केवाला से हासिल है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में केवाला की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति, शुद्धिपत्र की छायाप्रति सहित अन्य राजस्व कागजात प्रस्तुत करते हैं।

उपरोक्त कागजातों के अध्ययन / अवलोकन से स्पष्ट है कि एक ही भू-खण्ड पर दोनों पक्ष अलग-अलग राजस्व कागजातों के आधार पर दावा करते हैं। प्रस्तुत विवाद दखल-कब्जे से संबंधित प्रतीत होता है। उक्त विवाद के

निपटारे हेतु अंचल अधिकारी बिरनी का जाँच प्रतिवेदन तथा अन्य साक्ष्य की आवश्यकता होगी। भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 में सीमित अवधि में राजस्व कागजातों का सूक्ष्म विश्लेषण, दखल कब्जा का निर्धारण इत्यादि संभव नहीं है अत: प्रस्तुत वाद को युक्तियुक्त विश्लेषण / विवेचन हेतु भा0ना0सु0सं0 की धारा 164 में परिवर्तित करने के प्रथम पक्ष के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। उक्त आदेश के साथ भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

उभय पक्ष को भा0ना0सु0सं0 की धारा 164 के तहत नोटिस निर्गत करें तथा वाद को सुनवाइ हेतु दिनांक ...28.1.25...... को सूचीबद्ध करें।

लेखापित एवं संशोधित

19-11-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

19-11-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.09 11:58:59 +05:30
Location: 192.168.1.2